न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 31/2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/133
हेमन्त खुराना पुत्र विजय खुराना, निवासी मोहल्ला निमडी नीचे, वार्ड नं. 5 महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 30.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी के द्वारा यह प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की हैं कि आवेदक द्वारा मांगे गये दस्तावेज लोक सूचा अधिकारी के अधिनस्थ कार्यालय में उपलब्ध हैं, फिर भी मांगे गये दस्तावेज 30 दिनों की समय सीमा के भीतर जारी नहीं किए गए हैं। आवेदन को अन्य लोक सूचना अधिकारी को अग्रेषित नहीं किया गया हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी घड़साना के पत्रांक/पीए/2024/1142 दिनांक 26.07.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन श्री दानाराम उपपंजीयक घड़साना के नाम से सम्बोधित प्राप्त हुआ था जो कार्यालय के पत्रांक 1041 दिनांक 10.07.2024 को तहसीलदार राजस्व घड़साना को भेजकर नियमानुसार वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाते हुए कार्यालय को सूचित करने हेतु प्रेषित किया जा चुका हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी घड़साना के द्वारा प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत पत्रांक 1041 दिनांक 10.07.2024 की छायाप्रति का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी का आवेदन तहसीलदार घड़साना को प्रेषित किया गया हैं लेकिन इसकी सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31.05.2024 को आवेदन प्रस्तुत किया था परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा दिनांक 10.07.2024 को आवेदन हस्तांतरित किया गया हैं जबकि उपखण्ड अधिकारी घड़साना को चाहिए था कि यदि आवेदन पत्र उनके कार्यालय से संबंधित नहीं था तो वे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत पांच दिवस में आवेदन संबंधित को हस्तांतरित करते और इसकी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाते तथा पोर्टल पर अद्यतन करते। परन्तु प्रकरण में इसका अभाव पाया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं और उपखण्ड अधिकारी घड़साना को निर्देशित किया जाता हैं कि निर्णय की प्रति प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन पत्र पर पुनः विधिवत विनिश्चय पारित करते हुए अपीलार्थी/आवेदक को सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं की जावे। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़